

मूल वाद में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठरीन अधिकारी प्रशासन गांव के रांग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठरीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उपवान

वनाम

गोहरी सिंह

रामचन्द्र आदि

दाया वादत :- 88.R7A-11

मुकदमा नम्बर :- 298/2021

निर्णय दिनांक :- 27.10.2021

वादी की ओर से वकील

ओर से वकील

प्रदीप कुमार

की व प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 की

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.10.21

को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्रीमती प्रीति - पनाम के खाता सं. 67/73 के खाते सं. 156 की 12.1650 है, खसरा सं. 107 की 0.8600 है, खसरा सं. 233/156 की 0.0630 है कुल 15.3140 है। गारानी खतोदारी के प्रतिवादी सं. 1 रामचन्द्र के नाम 1/3 हिस्सा राजस्थान रिलायंस में पेश है। प्रतिवादी सं. 1 का नाम ललमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 2 का 5 का हिस्सा गारानी के खातेदार का इतना व वीमित किया जात है। यदि प्रतिवादी सं. 1, 6 व 7 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 2 का 5 के पक्ष में त्याग कर ग्रहण कर लिया है। इसलिए त्याग किया गया दिखने पर पंजीयन किया जाय। पंजीयन मुक्त एवं स्वाम्य उभूरी अदा कल व भी हकिमिती वक के रख है वी रख मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्थान रिलायंस के अन्तु परामद किया जाय। राजीनामा का पत्र का माता फटा जाय।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिफ्री आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
 (निविट प्रशासक)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
 प्र. गा. के रांग अ. - 2021
 भादरा, जिला हनुमानगढ़
 31.10.2021